

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F73/UP-2551/

2007/ 38960

2 FEB 2008
Date:

APN 0 4 5 2 2

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION -4

WHEREAS in terms of Section 14 (1) of the NCTE Act, 1993, **The Mrinalini College, Vill - Harora, Saharanpur, U.P.** has submitted an application (apn04522) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for starting **B.Ed. course** of One year duration with an annual intake of **100 (One Hundred Only) students.**

2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to **The Mrinalini College, Vill - Harora, Saharanpur, U.P.** for conducting **B.Ed.** Course of One year duration with an annual intake of 100 (One Hundred Only) 100 students under clause 7(12) of Regulation dated 13-1-2006 subject to fulfillment of the following:

- (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time..

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and the State Government etc, wherever applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Contd..2..

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No. : 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction: U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail: nrc@ncte-in.org

Website: <http://www.ncte-in.org>

6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.
7. The institution shall maintain & update the Web-site as per provisions of NCTE Regulations.

By order

(Dr. Ajit Singh Rana)
Regional Director

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110 054

C.C

1. The Secretary, Dept. of Elementary Education and literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001,
2. The Education, Secretary, Govt. of UP, Secretariat, Lucknow UP
3. The Registrar, C.C.S. University, Meerut, U.P.
4. The Director, Directorate of Higher Education, I/c Teacher Education, Govt. of UP, Directorate, Allahabad, Uttar Pradesh.
- ✓ 5. The Manager, **The Mrinalini College, Vill - Harora, Saharanpur, U.P. - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards endowment fund and Reserve fund is enclosed.**
6. US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, 0Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. Office order file/Institution file.


Regional Director

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 30 दिसम्बर, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/2402, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन दि मृणालिनी कालेज, ग्राम-हरोड़ा, सहारनपुर, उ0प्र0 को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-450(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, दि मृणालिनी कालेज, ग्राम-हरोड़ा, सहारनपुर, उ0प्र0।
- (5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 20 सितम्बर, 2009

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/3708, दिनांक 25-02-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन मृणालिनी गर्ल्स कालेज, ग्राम-हरोड़ा, सहारनपुर को बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2009 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-68(1)/सत्तर-2-2009-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, मृणालिनी गर्ल्स कालेज, ग्राम-हरोड़ा, सहारनपुरं
- (4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/२४५
दिनांक : मार्च, २००९
२४/५/०९

सचिव,
दि मृणालिनी कालेज,
ग्राम-हरोड़ा, सहारनपुर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब०-४५०/सत्तर-२-२००८-२ (६२८)/२००८, दिनांक ३०.१२.२००८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन दि मृणालिनी कालेज, ग्राम-हरोड़ा, सहारनपुर को बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००८ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

१. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
३. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार दि मृणालिनी कालेज, ग्राम-हरोड़ा, सहारनपुर को बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००८ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
२. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
३. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
४. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. डा० आई०आर०एस० सिन्धु, समन्वयक बी०एड० प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव